

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमती गीता देवी, पति—स्व० अशर्फी मल्लिक, भूतपूर्व ईमबाल्मर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, वर्तमान पता: ग्राम—चन्दवारा, सोडा गोदाम, वार्ड न०.—४५, थाना— नगर, जिला— मुजफ्फरपुर को अनुकम्पा के आधार पर इस चिकित्सा महाविद्यालय में ईमबाल्मर के रिक्त पद पर, इनकी ऑपरेटिंग रूप से नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। ग्रेड पे 1800/- के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय— समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तो के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाती है:—

1. यह नियुक्ति जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक— 1540 / स्था० दिनांक— 12.12.19 द्वारा अनुशंसा के आलोक में तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या क्रमशः 11946 / का० दिनांक— 31.11.1984, 3293 दिनांक— 05.10.1991, 2822 दिनांक— 27.04.1995, 8093 दिनांक— 27.05.1998, 367 दिनांक— 11.02.2004 एवं 5958 दिनांक— 25.04.2012 के निहित निर्देशों एवं शर्तों के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों को उनके आश्रितों के रूप में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है।
2. स्व० अशर्फी मल्लिक, भूतपूर्व ईमबाल्मर के आश्रित परिवार के भरण—पोषण का दायित्व श्रीमती गीता देवी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों में से एवं आंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश अद्योहस्ताक्षरी दे सकते हैं। उक्त आशय का घोषणा—पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण—पत्र की रवै अभिप्राप्तिप्रति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किए गए रवारथ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा योगदान रवीकृत नहीं किया जाएगा।
4. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. किसी तरह की गलत सूचना या धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर भी उन्हे सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जा सकेगी।
6. शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण—पत्रों के सत्यापन उपरान्त गलतख अवैध, अथवा जाली पाया जाता है, तो न केवल आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी बल्कि आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा।
7. संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण—पत्रों का सत्यापन तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने एवं आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त वेतनादि के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
8. शादी—विवाह में तीलक दहेज नहीं लेने देने संबंधी शपथ—पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आप अपना योगदान प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के यहाँ देंगे। आदेश अवहेलना के आलोक में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ह० /—
प्राचार्य

ज्ञापांक:— 163/20

दिनांक:— 28/11/2020

प्रतिलिपि:—

1. श्रीमती गीता देवी, पति—स्व० अशर्फी मल्लिक, भूतपूर्व ईमबाल्मर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, वर्तमान पता: ग्राम—चन्दवारा, सोडा गोदाम, वार्ड न०.—४५, थाना— नगर, जिला— मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर को उनके ज्ञापांक— 1540 / स्था० दिनांक— 12.12.19 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वारथ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. बरसर / लेखापाल, / विपत्र लिपिक / स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. कॉलेज वेबसाईट।

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर